

महाराष्ट्र राज्य उप जिलाधिकारी, मांट & मधुरा १
 वाद संख्या 29 /2009-2009 पारा 143 क. वि. उ.
 योगेश कुमार शर्मा बनाम उ. प्र. सरकार नौजा दार्वेरा तहसील मधुरा
आदेश दिनांक 2/6/09



श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र कनकधाम निवासा बरीठ तहसील मांट प्रबन्धक श्रीमती सुन्नीदेवी शिखा समिति बरीठ, तहसील मांट जिला मधुरा पारा क. वि. उ. का पारा 143 के अन्तर्गत एक प्रतिना फस झा कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि इनद्वारा मौजा दार्वेरा स्थित खाता संख्या 104 खसरा संख्या 25 रकबा 3-230 है, के बकदर भाग में से रकबा 0-726-1/2 है, जमानत 24-05 80 गत वर्षों से आबादी प्रयोजन में आ रहा है और इस रकबा में कोई कृषि या अन्य कृषि प्रयोजन का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, अतः उक्त कथन की धारा 143 के नियम 135 के आधार पर आबादी भोक्षित किये जाने की प्रार्थना की है साथ में नका खतीनी, खसरा, पैनामा की आधारभूत दस्तावेज किये हैं।

तहसीलदार मांट से जाहवा मांगी गई, राजस्व निरीक्षक नौडोल की जाहवा दिनांक 14-1-2009 के आधार पर तहसीलदार मांट द्वारा उक्त जाहवा दि. 0 30-4-2009 संदर्भित तहसील निरीक्षक की है, उक्त जाहवा में प्रतिवादी के उक्त कथन की पुष्टि करते हुये उक्त प्रसंगत भूमि को आबादी भोक्षित किये जाने का संस्तुति की गयी है तथा प्रसंगत भूमि में उक्त वर्षों से कृषि नहीं हो रही है तथा न ही उक्त मन्स्य पालन, कुक्कुटपालन आदि अन्य कृषि प्रयोजन में कोई कार्य किये जा रहे हैं ऐसा बताया गया है पारा 143 के नियम 135 पर उक्त प्रसंगत भूमि को आबादी भोक्षित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतः तहसीलदार मांट को जाहवा दिनांक 30-4-2009 के आधार पर उक्त प्रसंगत भूमि को क. वि. उ. का पारा 143 के नियम 135 निर्धारित प्राव्य पर निम्न प्रकार आबादी भोक्षित किया जाता है :-

शर्मा का नाम व पता।	भूमि पर का नाम व पता	खाता सं० / खसरा नं० व क्षेत्रफल	मा. गुजरात गैरकृषि प्रयोजन के लिए आबादी के लिए वाजा क्षेत्र	विशेष कृषि प्रयोजन के लिए वाजा क्षेत्र
---------------------	----------------------	---------------------------------	---	--

वार्षिक तहसील मांट, मधुरा	योगेश कुमार शर्मा पुत्र कनकधाम नि. बरीठ प्रबन्धक श्रीमती सुन्नीदेवी शिखा समिति बरीठ, तहसील मांट	104 26 3-230	0-726-1/2	26 0-726-1/2	24-05
---------------------------	---	--------------	-----------	--------------	-------

प्रसंगत भूमि को उपरोक्तानुसार आबादी भोक्षित किया जाता है इस आदेश को एक प्रति तहसीलदार/उपविन्धक मांट को भेजी जाने तथा वाद आ. का पत्राकरी दा. द. की जाने

उप जिलाधिकारी, मांट & मधुरा

उप जिलाधिकारी, मांट & मधुरा